Government that a crisis has been cerected; nor for us at all. *(Interruptions)* .

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): The Government did not respond. (*Interruptions*).

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan): Whatever has to be done, the Joint Parliamentary Committee has already done. And, it is for the Government to take action. *(Interruptions)* .

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Government has taken a coldblooded decision tol ighore the (JPC report. Therefore, there is no point in discussing it.

MR. CHAIRMAN: Parliament has the powers to make the Government listen.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA Nobody listens to us. The Government does not listen to us. *(Inlerruptions)* . . It is totally useless. *(Interruptions).*

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : सभापति जी इस सदन में हरेक सदस्य को अधिकार है..(व्यवधान).. जे.पी.सी. की एक्शन रिपोर्ट पर बहस करने का। इस अधिकार का विपक्ष द्वारा हनन किया जा रहा है। सभापति जी इस सदन के हरेक सदस्य को अधिकार है इस एक्शन टेकन रिपोर्ट पर बहस करने का (व्यवधान)... जे.पी.सी. की 90 प्रतिशत अनुशंसायें मान ली गई हैं उसके बावजूद भी यहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि सदन में इस पर बहस की जाये... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I hava no alternative but to adjourn the House till II A.M. tomorrow.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि क्षेत्र में निवेश

*101. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**

श्री ईश दत्त यादव :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में राज्यवार, कितना-कितना निवेश किया गया;

(ख) यह कुल निवेश का कितना प्रतिशत था ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढावा देने के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं .

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1991-92 में चालू कीमतों पर कृषि सेक्टर में सकल पूंजी निर्माण 13338 करोड़ रुपये था और 1992-93 में बढ़कर यह 15633 करोड़ रुपये हो गया। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास केवल राष्ट्रीय स्तर की सूचना है क्योंकि राज्यवार सूचना एकत्र नहीं की जाती।

(ख) कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि सेक्टर का अंश 1991-92 और 1992-93 में क्रमशः 10.0 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत था।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कृषि और संबद्ध सेक्टर में बागवानी मरुस्थल फॉलन वर्षा कृषि सिंचित लघु सिंचाई के लिये आधार भूत के सृजन संरचना फसल के बाद प्रबंध आदि जैसे बल दिये जाने वाले क्षेत्रों की ओर करने का प्रस्ताव है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

सहित कृषि एवं संबंधित सेक्टरों के लिये योजना परिव्यय 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमशः 15360.85 करोड़ रुपये और 18855.69 करोड़ रुपये था ।

बंधुआ बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कानून/कार्यक्रम बनाना

*102. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ/बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिये कोई कानून/कार्यक्रम बनाये हैं या बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें लागू करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या सरकार इसमें यह भी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति संस्था/कम्पनी को दंडित किया जाय और उनका पंजीकरण रद्द किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा :) (क) से (घ) सरकार ने बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है और बंधित श्रम प्रथा को समाप्त कर दिया है, जिसमें वयस्क और बालक दोनों ही प्रकार के बंधुआ श्रमिक शामिल है । सरकार बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को बराबर-बराबर (50:50) आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 1978–79 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को भी कार्यान्वित करती आ रही है ।

इस अधिनियम में पूरे देश में बंधित श्रम प्रथा को समाप्त करने और इस प्रथा को कानून के अन्तर्गत दंडनीय संज्ञेय अपराध का प्रावधान किया गया है । इससे सभी बंधुआ मजदूरों के ऋण का समापन होने के साथ-साथ उन्हें एकपक्षीय रूप से दासता से मुक्त कर दिया है । सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा अत्यन्त तत्परता से कार्रवाई करने के साथ पहचान किये गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसकी प्रगति को गहनता से मानीटर किया जाता है । 3–3–93 की स्थिति के अनुसार पहचान किये गये तथा मुक्त कराये गये 2,51,424 मजदूरों में से केवल लगभग 6000 बंधुआ मजदूरों को अभी पुनर्वासित किया जाना है । बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को 38.56 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है । बंधुआ श्रमिकों की पहचान,मुक्ति तथा पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारो की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना को आठवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है ।

बंधित श्रम प्रथा के मामले में 3 वर्ष तक का कारावास और 2000 रु0 तक का जुर्माना किया जा सकता है । इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर संस्थाओं/कम्पनियों का पंजीकरण रद्द करने हेतु कोई प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Imposition of restrictions on imports by us Congress

"103. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(i.) whether Government is aware of the move by the US congress to impose restrictions on the import Of goods produced in the developing countries including India;

(b) if so, whet are the implications so far as Indo-US trade is eoncerned